भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4226
बुधवार, 26 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

नए अंतरिक्ष कानून का मसौदा

4226. डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री इमरान मसूद:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नए अंतरिक्ष कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने की समय-सीमा क्या है तथा यह छह वर्ष पहले तैयार किए गए प्रारंभिक संस्करण से किस प्रकार भिन्न है;

(ख) नए मसौदा कानून में विदेशी निवेश को सुव्यवस्थित करने तथा भारत के अतंरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं;

(ग) अंतरिक्ष क्षेत्र में बेहतर अनुपालन और शासन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केन्द्र (इन-स्पेस) को क्या-क्या विनियामक और दण्डात्मक शक्तियां दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए प्रस्तावित 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष की स्थिति तथा परिचालन रूपरेखा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

****

(क), (ख) एवं (ग)

इस क्षेत्र में यह पहला विधेयक होने के कारण, सरकार इसकी गहनता से जांच कर रही है तथा सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और डीपीआईआईटी ने इस उद्देश्य के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार ₹1,000/- करोड़ के उद्यम पूंजी कोष के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में मेसर्स सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के चयन हेतु इन-स्पेस बोर्ड की मंजूरी पर सहमति जताई है। इससे आगे की प्रक्रिया चल रही है।

****